

खण्ड — 3

शिक्षा एवं आधुनिक भारत का सामान्य दृष्टीकोण: भारत का संविधान


ईकाई — 2. भारत का संविधान: आधारभूत दर्शन और गुण

रूपरेखा

- 1.1 भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएँ
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना
 - 1.3.1 प्रस्तावना का महत्व
 - 1.3.2 प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएँ
 - 1.3.3 प्रस्तावना की व्याख्या
- 1.4 मौलिक अधिकार और कर्तव्य
 - 1.4.1 मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ
 - 1.4.2 भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार
 - 1.4.3 मूल कर्तव्य
- 1.5 राज्य के नीति—निर्देशक सिद्धांत
 - 1.5.1 प्रस्तावना
 - 1.5.2 नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप
 - 1.5.3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 1.6 भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बंधी प्रावधान
- 1.7 ईकाई सारांश
- 1.8 अपनी प्रगति की जाँच कीजिए
- 1.9 संदर्भ सूची

1.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना

किसी देश के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के पीछे उस देश की आस्थाओं, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों का समेकित दर्शन होता है। इस परिपेक्ष्य में ही संविधान के दार्शनिक पहलू का विश्लेषण किया जा सकता है।



चित्र 1.1 : भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएँ


1.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप —

- भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्रमबद्ध तरीके से समझ सकेंगे।
- हमारे मौलिक अधिकार व कर्तव्य के बारे में जान सकेंगे।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1.3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों की उद्घोषणा है, जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वे उस राजनीतिक ढाँचे के द्वारा, जिसे उन्होंने जानबूझकर रचा है, प्राप्त करना चाहते हैं। – श्री पालन्डे




चित्र 1.2 : प्रस्तावना एक दृष्टी में

1.3.1 प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना प्रेरणा का स्रोत
- प्रस्तावना संविधान की कुंजी
- प्रस्तावना भारतीय राज्य तथा समाज के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं
- प्रस्तावना राज्य का स्वरूप
- प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक
- प्रस्तावना सूचित करती है कि भारत के लोगों ने संविधान कब बनाया

1.3.2 प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएँ



1.3.3 प्रस्तावना की व्याख्या

1. **सांविधानिक स्रोत** – प्रस्तावना के प्रारंभ में कह दिया गया कि संविधान के निर्माण करने वाले हम भारत के लोग हैं इससे स्पष्ट है सम्प्रभुता जनता में निहित है और समस्त भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से संविधान का निर्माण किया है डॉ. अम्बेडकर का कथन 'इस संविधान का आधार जनता है', बिल्कुल सही और न्यायसंगत है।
2. **भारतीय शासन व्यवस्था** – संविधान की प्रस्तावना में भारत की नवीन शासन व्यवस्था का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य इत्यादि शब्दों को लाकर किया गया। संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को हम निम्नलिखित पाँच भागों में बाँट सकते हैं –

- संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न
- धर्म निरपेक्षता
- समाजवादी
- लोकतंत्रात्मक
- गणतंत्र

3. सांविधानिक लक्ष्य — भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से निम्नलिखित चार आदर्शों को प्राप्त कराने का संकल्प किया।

- पहला आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- दूसरा स्वतंत्रता का सिद्धांत।
- तीसरा समानता है जो स्वतंत्रता का पूरक।
- चौथा भ्रातृत्व की भावना।

4. संविधान की अंगीकार करने की तिथि — संविधान को अंतिम रूप 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार कर लिया गया व औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया व उस दिन को गणतंत्र दिवस कहा गया।

अपनी प्रगति की जाँच

अभ्यास क्रियाएँ

भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपकी नजर में — पर एक व्यवस्थित चार्ट बनाईए?

1.4 मौलिक अधिकार और कर्तव्य

“मौलिक अधिकार वह हैं जिसे राज्य के लिखित संविधान द्वारा सुरक्षित व प्रतिभूत बनाया जाता है”

डी.डी. बसु

मौलिक अधिकार क्या हैं?

- पं. जवाहरलाल नेहरू – अधिकार संविधान के अन्तःकरण हैं।
- अंगरेज विद्वान मक्कन – अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लाभदायक परिस्थितियाँ हैं।
- हैराल्ड जे. लास्की – अधिकारों को सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों की संज्ञा दी है जिसके आभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास सम्भव नहीं।
- हॉब हाउस – अधिकार व कर्तव्य सामाजिक जीवन की दशाएँ हैं।


1.4.1 मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

1. अन्य देशों से व्यापक
2. सकारात्मक तथा निषेधात्मक
3. अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों का सर्वांगीण विकास
4. प्रवर्तन हेतु सांविधानिक व्यवस्था
5. प्राकृतिक तथा अघोषित अधिकारों की व्यवस्था नहीं
6. मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं

7. मौलिक अधिकारों का निलंबन
8. मौलिक अधिकारों का संशोधन
9. नागरिकों एवं विदेशियों में अंतर
10. विभिन्न अधिकारियों पर मर्यादा के रूप में

1.4.2 भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार

भारत एक कल्याणकारी राज्य है लोगों के चहुँमुखी विकास के लिए भारतीय संविधान में छः प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है।



चित्र 1.3 : वर्णित मौलिक अधिकार

1. समता का अधिकार — अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। इस अधिकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को वैधानिक, नागरिक तथा सामाजिक समता प्रदान की गई है समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित पाँच प्रकार के अधिकार आते हैं —

- कानूनी समानता
- सामाजिक समता
- सेवा—प्राप्ति में अवसर की समानता
- अस्पृश्यता की समाप्ति
- उपाधियों की समाप्ति

2. स्वतंत्रता का अधिकार — संविधान का उद्देश्य “स्वाधीनता विचाराभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है

- भाषण तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक और निःशस्त्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता
- संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत राज्यक्षेत्र में आने—जाने की स्वतंत्रता
- भारत के किसी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता
- संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्यय की स्वतंत्रता
- जीविका संबंधी स्वतंत्रता

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।

- भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक का शोषण नहीं कर सकता
- 14 वर्ष से कम उम्र बालक बालिकाओं को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी प्रकार के खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता
- किसी भी व्यक्ति से उसकी सम्मति के बिना बलपूर्वक कोई काम नहीं करवाया जा सकता।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार** – संविधान के अंतर्गत धार्मिक मामलों में राज्य को पूर्णतः निरपेक्ष घोषित किया गया है।

- अंतःकरण की स्वतंत्रता
- धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की आदायगी से छूट
- राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक

5. **सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार** –

- धारा 29 (3) के अनुसार भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।
- 29 (2) किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्था में धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जा सकता।
- 30 (1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा।
- 30 (2) राज्य अनुदान देते समय ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. **संपत्ति का अधिकार** – वर्तमान समय में यह मौलिक अधिकार नहीं है।

7. **सांविधानिक उपचारों का अधिकार**

- धारा 32 राज्य या अन्य कोई व्यक्ति नागरिकों के मूल अधिकारों का अपहरण करे तो नागरिक उन अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है।
- धारा 226 उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वे विभिन्न लेखों तथा आदेशों के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

दिए गई खाली जगह में प्रश्नों के उत्तर लिखें

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें –

प्र.1. भारतीय संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं?

प्र.2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या लिखिए?

1.4.3 मूल कर्तव्य

व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यन्त अपरिहार्य हैं। फिर भी अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों में कर्तव्य पालन की भी भावना रहनी चाहिए जिस देश के नागरिक सिर्फ अधिकारों की माँग करें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान न दें उस देश का कभी भी उत्पादन नहीं हो सकता इसी आवश्यकता को महसूस कर 42 वें सांविधानिक संशोधन द्वारा 'मूल कर्तव्यों' की एक सूची जोड़कर एक क्रांतिकारी संशोधन किया निम्नलिखित दस मूल कर्तव्य हैं –

1. संविधान का पालन
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाकर काम किया जाए
3. देश की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखण्डता में विश्वास करना
4. देश की रक्षा करना
5. भेदभावों की समाप्ति
6. संस्कृति का सम्मान
7. प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, जीवों के प्रति दयाभाव
8. वैज्ञानिक दृष्टीकोण का विकास
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा

10.राष्ट्र के विकास के लिए सतत् प्रयासरत् रहना

1.5 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

“यदि इन तत्वों को भली प्रकार कार्यरूप दिया जाए तो हमारा देश धरती पर स्वर्ग बन जाएगा।”
— एम.सी. छागला

1.5.1 प्रस्तावना — डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह माग आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम की रचना करना है। इसी सिद्धांत से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है।

1.5.2 नीति-निर्देशक तत्वों का स्वरूप

अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई

1. संविधान का मौलिक उद्देश्य — अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण रूप में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा सुरक्षा द्वारा जिसमें आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, जनता के हित के विकास का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक संस्था को इस संबंध में सूचित करेगा।

2. अनुदेश-पत्र — राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे अनुदेश पत्र हैं। जिसका पालन राज्य की व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों को करना है। इनके द्वारा संविधान भावी कार्यपालिकाओं तथा विधानपालिकाओं को निर्देशित करता है कि उन्हें किस प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था करनी है।

3. शासन के आधारभूत सिद्धांत — अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें जिसका पालन वे अपने दायित्वों को निभाने के दौरान करेंगे।

4. न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है — राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत को क्रियान्वित कराने की शक्ति देश के किसी भी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे।

5. लचीली व्यवस्था — राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा सामान्य तथा लचीली है राजनीतिक दल अपने अनुरूप ढाल सकता है

1.5.3 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रतिपादन किया

1. लोक-कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा।
2. राज्य द्वारा कतिपय नीति के तत्वों का पालन अनुच्छेद 39 में राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों की सुरक्षा में नीति का निर्देशन करेगा।
 - क. भारत के प्रत्येक नागरिक को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
 - ख. समाज के भौतिक साधनों का न्याय संगत विभाजन
 - ग. आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिससे धन का एकत्रीकरण न हो
 - घ. स्त्री पुरुष के लिए समाज कार्य के लिए समान वेतन
 - ड. स्वास्थ्य व्यवस्था का दुरुपयोग न हो
 - च. शैशव व किशोरावस्था का शोषण से रक्षण
3. **अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन** – ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में आवश्यक हो।
4. **अनुच्छेद 41, कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ मामलों में जन सहायता** – ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे योग्यतानुसार काम मिल सके।
5. **अनुच्छेद 42, कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित स्थितियों का उपबन्ध** – स्त्रियों को इस अवस्था में राज्य द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त हो।
6. **अनुच्छेद 43, श्रमिकों के लिए जीवन पारिश्रमिक** – किसी भी तरह के श्रमिक को इतना वेतन अवश्य दिया जाए जिससे वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे।
7. **अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समरूप व्यवहार संहिता**
8. **अनुच्छेद 45, शिशुओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध**
9. **अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा सम्बंधी तथा आर्थिक हितों की उन्नति**

10. अनुच्छेद 47, जनसाधारण के स्वास्थ्य के सुधारने का प्रयत्न
11. अनुच्छेद 48, कृषि तथा पशुपालन का संगठन
12. अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
13. अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
14. अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की उन्नति

1.6 भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

• शिक्षा सम्बन्धी धाराएँ

1. धारा 21 A शिक्षा का अधिकार – छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में विकास तथा शिक्षा का मूल अधिकार
2. धारा 45 छोटे बच्चों की देशभाल तथा शिक्षा
3. धारा 51 A अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
4. धारा 28 धार्मिक शिक्षा की बाध्यता नहीं

• संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

5. धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण राज्य – द्वारा स्थापित अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु प्रवेश देने से इंकार धर्म, जाति भाषा एवं वर्ग के आधार पर नहीं किया जा सकेगा।
6. धारा 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार – धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विद्यालयों को चलाने एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।

• कमजोर वर्गों की शिक्षा

7. धारा 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि

8. धारा 239 संघ क्षेत्रों का प्रशासन – कानून द्वारा कोई और प्रबंध न किया गया हो तो प्रत्येक संघ क्षेत्र पर राष्ट्रपति का शासन उस सीमा तक जहाँ तक वह उचित समझे, एक शासक द्वारा जिसे वह नियुक्त करेगा, चलाया जाएगा।
9. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

• **अल्पसंख्यकों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा**

10. धारा 343 – देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी
11. धारा 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ—प्रत्येक राज्य प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषायी, अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।
12. धारा 351 हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

• **अन्य देशों से सम्पर्क**

13. संधी सूची (1) की प्रविष्टि 13 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अन्य निकायों में भाग लेना।

आर्थिक व सामाजिक योजना

14. समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 20 – शिक्षा का आर्थिक तथा सामाजिक योजना से घनिष्ठ सम्बंध
15. धारा 243 पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व – आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाना।
16. सातवीं अनुसूची की सूची I प्रविष्टि 12 – यूनेस्को द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, भारत में इसके लिए 'Indian National Commission for Co-operation with UNESCO' की स्थापना।
17. उच्च शिक्षा – जिन विषयों पर केवल केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व

1.7 ईकाई सारांश : स्मरण करने योग्य बातें

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों की उद्घाषणा है, जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वे उस राजनीतिक ढाँचे के द्वारा, जिसे उन्होंने जानबूझकर रचा है, प्राप्त करना चाहते हैं। — श्री पालन्डे

प्रस्तावना की व्याख्या

1. संविधानिक स्रोत
 2. भारतीय शासन व्यवस्था
 3. सांविधानिक लक्ष्य
 4. संविधान की अंगीकार करने की तिथि
- मौलिक अधिकार व कर्तव्य — “अधिकार संविधान के अन्तःकरण हैं”
 - मौलिक अधिकार
 1. समता का अधिकार
 2. स्वतंत्रता का अधिकार
 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
 5. सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबद्ध अधिकार
 6. संपत्ति का अधिकार
 7. संविधानिक उपचारों का अधिकार।
 - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई।
 - भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बंधी प्रावधान
 - शिक्षा सम्बंधी धाराएँ — धारा 21, धारा 45, धारा 51, धारा 28 में क्रमशः निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, छोटे बच्चों की देखभाल, अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य, धार्मिक शिक्षा की बात कही गई।

- संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार — धारा 29, 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण व शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात कही गई।
- कमजोर वर्गों की शिक्षा — धारा 46, 239 अनुसूचित जाति, जनजातियों व दुर्बल की शिक्षा व संघ क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही।
- अल्पसंख्यकों के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा धारा 343, 350, 351 में कही।
- अन्य देशों से सम्पर्क
- आर्थिक व सामाजिक योजना — पंचायतों की शक्तियाँ, उच्च शिक्षा आदि की बात कही।

1.8 अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने हैं ?
 क. 8 ख. 6 ग. 7 घ. 9
2. मौलिक अधिकार की परिभाषा लिखिए?

लघु उत्तरीय प्रश्न

- प्र.1. भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएँ लिखिए?
- प्र.2. मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? लिखिए।

निबंधात्मक प्रश्न

- प्र.1. भारतीय संविधान में शैक्षिक प्रावधान पर विस्तार से लिखिए?
- प्र.2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएँ समझाइए?
- प्र.3. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए?

1.9. संदर्भ सूची

- अग्रवाल, जे.सी. (2009) उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, अग्रवाल पब्लिकेशन
 आगरा — 2

- सक्सेना स्वरूप एन.आर., चतुर्वेदी शिखा (2004) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर. लाल बुक डिपो
- राय गांधी जी (1993) भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- बसु दुर्गादास, शर्मा ब्रजकिशोर (2011) भारत का संविधान – एक परिचय, बटरवर्थ वाधवा, नागपुर
- मदान पूनम, गर्ग सुषमा, भारत में शिक्षा – स्थिति, समस्याएँ एवं मुद्दे, अग्रवाल पब्लिकेशन
- त्रिवेदी, आर.एन. “भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो जयपुर, नयी दिल्ली

